न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० १६१ पुनरीक्षण

१- हरग्यान पुत्र रामदयाल तेली

२- रामदुलारी विधवा आशाराम

३- राजाराम
४- रामकिशन
५- गंगाराम
६- मानसिंह
} पुत्रगण आशाराम तेली

७- महिला वैकुंठी विधवा विधाराम तेली

८- महिला बसन्ती पुत्री विधाराम

९- रामगोपाल
१०- रामदास
} पुत्रगण विधाराम

११- केशरबाई पुत्री रामदयाल

१२- पुरुषोत्तम
१३- नारायण
१४- देवसिंह
} पुत्रगण भागीरथ तेली

१५- महिला बैकुंठी विधवा पत्नी भागीरथ
निवासीगण गोहद जिला भिण्ड

१६- गंगा (मेवा)
१७- रामदयाल
} पुत्रगण रामलाल बारी

निवासीगण ग्राम कोंधर खुर्द हाल ग्राम
वीरतपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड

------- आवेदकगण

विरुद्ध

भोगीराम पुत्र रामदयाल ब्राह्मण निवासी ग्राम
कोंधर खुर्द तहसील गोहद जिला भिण्ड

------- अनावेदक

--- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 160–दो/1991 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-9-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्र0क्र0 6/83–84/अपील में पारित आदेश दिनांक 24.05.1991 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.10.1952 को आवेदक क्रमांक 1,2,3, व 4 के पिता व कमांक 5,6,7, व 8 के पितामह व कमांक 9 के सासुर–रामदयाल ने अनावेदक – भोगीराम व आवेदक कमांक 10,11 के विरूद्व धारा–92 म0भा0क– आगम एवं कृषकाधिकार विधान संवत 2007 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम सिसोनिया की विवादित भूमि आराजी कमांक 202 क्षेत्रफल 3 वीधा 6 विस्वा के हिस्सा 1/2 का कारतकार है। तथा शेष 1/2 हिस्से की कारतकार मुस. रज्जाबाई है। मुस. रजाबाई ने सवंत 2008 में अपने हिस्से की भूमि 1/2 वादी को दे दी है। तदोपरांत रजाबाई की मौत हो गई। इस प्रकार वादी रामदयाल ने पूरी जमीन जोतकर तैयार की थी, किन्तु दिनांक 17.101952 को अनावेदक ने ताकत के दम पर जमीन का कब्जा छीन लिया। उक्त विवादित	

भूमि पर पुनः कब्जा दिलाया जाने व हरजना व खर्चा भी दिलाया जावे । इस आवेदन पत्र के जवाब में अनावेदक भोगीराम ने प्रस्तुत किया कि यह बताया है कि मुस0 रज्जाबाई ने न तो कोई जमीन आवेदक को शिकमी रूप में दी थी और न ही कब्जा दिया था । मुस0 रज्जाबाई उसकी चाची थी और उसकी ओर से ही वह जमीन पर काबिज है । अतः भोगीराम द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे । तहसीलदार गोहद ने दिनांक 29.08.68 को वादी का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये अनावेदक भोगीराम उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखली का आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रथम अपील दिनांक 19.08.70 को मान्य कर तहसीहलदार गोहद का आदेश निरस्त किया और प्रकरण तहसील न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के यहॉ निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्र0क्र0 3/70–71 में पारित आदेश दिनांक 20.08.73 द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष पेश की गई । न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी प्र0क्र0 29–तीन/74 में पारित आदेश दिनांक 27.11.74 द्वारा प्रकरण तहसील के न्यायालय में जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित होने पर तहसील न्यायालय द्वारा

विचारोपरांत पारित आदेश दिनांक 16.02.81 द्वारा यह माना गया कि वादी की बेदखली अवैध रूप से की गई है । अतः वह पुनः कब्जा पाने का अधिकारी है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा कब्जे का आदेश पारित किया जाकर हर्जाना व खर्चा भी दिलाया गया.। तहसीलदार गोहद के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद के न्यायालय में पुनः अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 29/80–81 में दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 10.10.83 द्वारा अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी गोहद के उक्त आदेश दिनांक 10.10.83 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के यहॉ प्रकरण क्रमांक 6/83–84/अपील पर पंजीबद्ध किया गया और दिनांक 24.05.1991 को अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के उक्त आदेश दिनांक 24.05.1991 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि अपर आयुक्त ने जिस साक्ष्य को अपने आदेश का आधार बनाया है वह मूल अभिवचनों के पूर्णतः विपरीत है । अनावेदक ने स्वयं रज्जाबाई को पक्का कृषक होना स्वीकार किया था । प्रकरण में किसी भी वैध साक्ष्य द्वारा भूमि शासकीय होना सिद्ध नहीं है । औकाफ भूमि होने सम्बन्धी आदेश सिद्ध नहीं है । यदि विवादित भूमि

शासकीय मानी जाती है तो संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाना चाहिये थी । विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किये बिना आवेदकगण का आधिपत्य नहीं हटाया जा सकता । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह स्वीकार किया है अिक तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के आदेंश के पालन में निष्कर्ष नहीं निकाले गये तथा साक्ष्य का अवलोकन नहीं किया । ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल के आदेश का पालन करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिये था । उन्होंने तर्क में यह भी कहा है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य की विवेचना किये बिना आदेश पारित किया है उसे अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा स्थिर रखने में त्रुटि की है। रज्जाबइ का विवादित भूमि में कोई स्वत्व नहीं था तब अनावेदक का भी विवादित भूमि में कोई स्वत्व नहीं है। अनावेदक को पुजारी नियुक्त नहीं किया गया है वह सवयं को पक्का कृषक अर्थात् भूमिस्वामी होने के आधार पर पक्षकार है न कि शासन के प्रतिनिधि है । रज्जाबाई को औकाफ विभाग के आदेशानुसार किसी अन्य से कृषि कार्य कराने का अधिकार था तथा उसने आवेदकगण के पूर्वज से अनुबन्ध के अनुसार कृषि काय्र कराया था । वर्तमान विवाद में अधिकारी एवं स्वत्व संबंधी बिन्दुओं पर न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0

अवस्थी उपस्थित । उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि विवादित भूमि माफी की थी और मंदिर की सेवा पूजा हेतु मुस0 रज्जाबाई को दी गई थी । वर्ष 1951 में औकाफ विभाग के आदेश क्रमांक 918/96 दिनांक 23.02.51 द्वारा वादग्रस्त भूमि माफी से हटाकर औकाफ में परिवर्तित की जाकर मुस0 रज्जाबाई को केवल मंदिर की सेवा पूजा हेतु दी गई थी, जिसमें यह शर्त थी कि यदि वह मंदिर से लगी वादग्रस्त भूमि पर या तो वह स्वयं खेती करें अथवा किसी अन्य से खेती करवाकर प्राप्त आमदनी से मंदिर की उचित सेवा पूजा की व्यवस्था करें। यदि वह ऐसा नहीं करेंगी तो उसे भूमि से अलग कर दिया जायेगा । इस आदेश में यह भी लिखा है कि यह आराजी माफी से खारिज हो जाने से बतौर माफीदार अब इस पर तुम्हारा (पुजारी का) का कोई अधिकार नहीं रहा । औकाफ विभाग के उक्त आदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि मुस0 रज्जाबाई को केवल मंदिर की सेवा पूजा की वयवस्था के लिये खेती करने हेतु दी गई थी, जिस पर उसका कोई स्वत्व नहीं था । वादग्रस्त भूमि औकाफ की होने से शासकीय है । प्रकरण में उपलब्ध खसरा वर्ष 1952 में वादग्रस्त भूमि " माफी मुन्जप्ता वयेतमाम औकाफ विभाग " दर्ज है जिससे वादग्रस्त भूमि शासकीय होना प्रमाणित है । विवादित भूमि को

औकाफ की होने से शासकीय मानते हुये रामदयाल को उपकृषक मानने बावत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण पाकर निरस्त किया जाता है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि शासकीय है और शासकीय भूमि पर किसी व्यक्ति को उपकृषक के स्वत्व प्राप्त नहीं होते। अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने भी उपकृषक सिद्ध न होने बावत साक्ष्य की विवेचना कर सही निष्कर्ष निकाला है, जिससे न्यायालय राजस्व मण्डल के प्रत्यावर्तित आदेश का पालन भी हो जाता है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि वादग्रस्त भूमि माफी/औकाफ की होकर शासकीय है । अतः ऐसी स्थिति में आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते । अतएव अनुविभागीय अधिकारी गोहद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.83 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.05.91 स्थिर रखा जाता है । तदनुसार निगरानी खारिज की जाती है । अभिलेख दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य